न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 72/2024 दायर तारीख :– 17.09.2024

चौथमल बनाम उदाराम वगै0

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री रामावतार, विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1, 3 लगा0 6

निर्णय

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 169 की आराजी खं0नं0 699 रकबा 0.9990 हैक्टर वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी प0ह0 जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में प्रार्थी का 1/18 हिस्सा राजस्व जमाबन्दी में दर्ज है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है प्रार्थी ने अपने हिस्से को उन्नत व विकसित कर रखा है तथा खं0नं0 699 के अप्रार्थीगण की नियत में फितुर आ गया है जिसके कारण अप्रार्थी सं0 1 लगा0 30 मनचाही जगह भूमि पर कब्जा करके प्रार्थी को उनके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमदा है तथा मनचाही जगह कब्जा कर निर्माण करने की फिराक में लगे हुए है इसी आशय से दिनांक 11.09.2024 को वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये ओर मनचाही जगह से भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर बेचान करने का सौदा करने लगे तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को ऐसा करने से मना किया ओर विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी सं0 1 लगा0 30 बिना विधिक विभाजन कराये मनचाही जगह पर कब्जा करके प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है। जब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 लगा0 30 को ऐसा करने के लिए मना किया तो प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी कि हम वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं करवायेगे तथा मनचाही जगह से भूमि पर कब्जा कर भूमि का निर्माण/बेचान करके दीगर अजनबी व्यक्तियों को कब्जा करवा देगे इसलिए प्रार्थी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।
2. प्रार्थना पत्र वाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 1, 3 लगा0 6 की ओर से वकील श्री लोकेश शर्मा उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं0 1, 3 लगा0 6 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि विवादग्रस्त भूमि जोबनेर कस्बे के लगवा है तथा उक्त आराजी पर काफी संख्या में मकानों का निर्माण हो गया है एवं आराजी मौके पर आवासीय कॉलोनी के उपयोग में नहीं आ रही है इस प्रकार विवादित आराजी की प्रकृति वर्तमान मे कृषि उपयोग की नहीं रहने से वाद सुने जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से वादी का वाद व प्रा0पत्र माननीय न्यायालय के सुनवायी के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। विवादित आराजी जो लगभग 4 बीघा है में वर्तमान में लगभग 31 खातेदार दर्ज है तथा कई खातेदारान का हिस्सा तो 1 विस्वा से भी कम है तथा कईयो का हिस्सा वर्तमान के रूप में ही है जिनका राजस्व नक्शें व जमाबन्दी में हिस्से दर्ज किया जाना संम्भव नहीं है ऐसे में विवादित आराजी का विभाजन किया जाना विधिक तौर पर संम्भव नहीं है। प्रार्थी स्वंय अपने प्रा0पत्र के मद सं0 3 में यह तथ्य स्वीकार कर रहा है कि प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है व उसने अपना हिस्सा काफी उन्नत व विकसित कर रखा है तथा दूसरी तरफ प्रार्थी अपने वाद की प्रार्थना में बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के आधार पर आराजी का विभाजन कराने का कथन

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

करता है जो कि दोनो तथ्य विरोधाभासी है इसलिए वादी माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है इस बिना पर भी प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी सं0 2, 7 लगा0 17 लगा0 24, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1 लगा0 32 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 169 की आराजी खं0नं0 699 रकबा 0.9990 हैक्टर वाकै ग्राम बबेरवालों की ढाणी प0ह0 जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में प्रार्थी का 1/18 हिस्सा राजस्व जमाबन्दी में दर्ज है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है प्रार्थी ने अपने हिस्से को उन्नत व विकसित कर रखा है तथा खं0नं0 699 के अप्रार्थीगण की नियत में फितुर आ गया है जिसके कारण अप्रार्थी सं0 1 लगा0 30 मनचाही जगह भूमि पर कब्जा करके प्रार्थी को उनके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमदा है तथा मनचाही जगह कब्जा कर निर्माण करने की फिराक में लगे हुए है इसी आशय से दिनांक 11.09.2024 को वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण अपने साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये ओर मनचाही जगह से भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर बेचान करने का सौदा करने लगे तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को ऐसा करने से मना किया ओर विधिक रूप से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी सं0 1 लगा0 30 बिना विधिक विभाजन कराये मनचाही जगह पर कब्जा करके प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है। जब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 लगा0 30 को ऐसा करने के लिए मना किया तो प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी कि हम वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं करवायेगे तथा मनचाही जगह से भूमि पर कब्जा कर भूमि का निर्माण/बेचान करके दीगर अजनबी व्यक्तियों को कब्जा करवा देगे इसलिए प्रार्थीग ने उक्त प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि जोबनेर कस्बे के लगवा है तथा उक्त आराजी पर काफी संख्या में मकानों का निर्माण हो गया है एवं आराजी मौके पर आवासीय कॉलोनी के उपयोग में नहीं आ रही है इस प्रकार विवादित आराजी की प्रकृति वर्तमान मे कृषि उपयोग की नहीं रहने से वाद सुने जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से वादी का वाद व प्रा0पत्र माननीय न्यायालय के सुनवायी के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। विवादित आराजी जो लगभग 4 बीघा है में वर्तमान में लगभग 31 खातेदार दर्ज है तथा कई खातेदारान का हिस्सा तो 1 विस्वा से भी कम है तथा कईयो का हिस्सा वर्तमान के रूप में ही है जिनका राजस्व नक्शें व जमाबन्दी में हिस्से दर्ज किया जाना संम्भव नहीं है ऐसे में विवादित आराजी का विभाजन किया जाना विधिक तौर पर संम्भव नहीं है। प्रार्थी स्वंय अपने प्रा0पत्र के मद सं0 3 में यह तथ्य स्वीकार कर रहा है कि प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है व उसने अपना हिस्सा काफी उन्नत व विकसित कर रखा है तथा दूसरी तरफ प्रार्थी अपने वाद की प्रार्थना में बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के आधार पर आराजी का विभाजन कराने का कथन करता है जो कि दोनो तथ्य विरोधाभासी है इसलिए वादी माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है इस बिना पर भी प्रार्थी का प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

5. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निरतारण करने के लिए मुख्य तीन बिन्दू प्रथम दृष्टया केस, अपूरणीय क्षति, सुविधा का संतुलन के सम्बन्ध मे निर्णय पारित किया जाना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में स्वंय इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि प्रार्थी अपने हिस्सें पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा प्रार्थी ने अपने हिस्से को उन्नत व विकसित कर रखा है दूसरी ओर अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा0पत्र में भी यह तथ्य अंकित किये है कि विवादग्रस्त आराजीयात का मौके पर आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है एवं सभी खातेदारों ने अपने अपने हिस्से में मौके पर सींव जोड़ व तारबन्दी तथा पुख्ता निर्माण एवंम् बाउण्डरी वॉल भी बना रखी है प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजीयात को अपनी अन्य

उपखण्ड अधिकारी

खातेदारी आराजीयात ख0नं0 694/3 में मिलाकर एक जाव बना रखा है जिसके चारों ओर तारबन्दी भी कर रखी है तथा प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात में अपनी अन्य आराजीयात जो मुख्य सड़क से लगती हुयी है से आवागमन करता है अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह तथ्य भी अंकित किये है कि विवादित आराजीयात पर काफी संख्या में पूर्व में मकान भी बने हुये है एवं कॉलोनी विकसित हो रखी है अप्रार्थीगण अपनी आराजीयात पर मौके पर हुये आपसी सहमति के विभाजन के अनुसार काबिज काश्त है तथा अपनी आराजीयात के चारो ओर पुख्ता बाउण्डरी वॉल भी बना रखी है अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्वात है कि एक सहखातेदार को जरिये निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना विधि सम्मत नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा अपने प्रा0पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण उसके हिस्से में आयी हुयी आराजीयात पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र के निर्धारण हेतु प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है, जब प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला ही साबित करने में असफल रहा है तो प्रार्थी को वादभूमि पर किस प्रकार की असुविधा या अपूरणीय क्षति है, प्रार्थी ने साबित नहीं किया है, असुविधा व अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी साबित करनें में असफल रहा है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित न होने के पर खारिज किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा साबित न होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनी[illegible])
उपखण्ड अधिकारी
जोवनेर